

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ 4(113) प्राशिम/प्राविप्र/2012-13/ 6637

दिनांक 30 OCT 2012

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की टीचिंग एण्ड एग्जामिनेशन स्कीम में आंशिक संशोधन करते हुए द्वितीय वर्ष के पश्चात् होने वाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंक द्वितीय वर्ष के स्थान पर तृतीय वर्ष के अंकों में जोड़े जाने का प्रावधान किया जाता है।

निर्देशानुसार लेख है कि उक्त की सूचना संबंधित सभी कार्मिकों एवं विद्यार्थियों को देवे तथा साथ ही संस्थान के सूचना पट्ट पर इसकी प्रति चस्पा करावे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की संशोधित टीचिंग एण्ड एग्जामिनेशन स्कीम मण्डल की वेब साइट से डाउन लोड करें।

प्राशिम

Y संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक : एफ 4(113) प्राशिम/प्राविप्र/2012-13/ 6638

दिनांक

30 OCT 2012

प्रतिलिपि:- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, ई-2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सामान्य), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. विभागाध्यक्ष, (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. प्रभारी- परीक्षा शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/सामान्य शाखा/पुस्तकालय।
8. नोडल अधिकारी (IT) को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाने हेतु।
9. श्री पुखराज पालीवाल, प्राशिम, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित को ई मेल द्वारा प्रेषित करें।
10. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय।

प्राशिम

Y संयुक्त निदेशक एवं सचिव